नए आपराधिक कानूनों में लैंगिक हिंसा और अन्य पीड़ितों के अधिकारों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस)

मार्च 2025

नए आपराधिक कानूनों में लैंगिक हिंसा और अन्य पीड़ितों के अधिकारों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस)

मार्च 2025

मुखपृष्ठ डिज़ाइन और लेआउट: मोहित सिंह

मॉड्यूल के लेखक : अम्रशा सिंह

संपादकीय सहायता

मंगला वर्मा
विपुल कुमार
जितेंद्र चाहर

मुद्रक

स्वस्तिक ट्रेडर्स
ए-१०, सेक्टर ६५, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश पिन कोड - २०१३०१ फ़ोन: ९९९९६२२०३४

इस प्रशिक्षण नियमावली में प्रकाशित सामग्री कॉपीराइट प्रतिबंधों से मुक्त है। इस सामग्री की प्रतिलिपि बनाने, वितरित करने या उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सीमित वितरण के लिए, जनहित में.

प्रकाशक: पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस)
मार्च २०२५

विषय-सूची

1. मॉड्यूल अवलोकन

2. प्रशिक्षक के नोट्स

3. सीखने के उद्देश्य

4. प्रशिक्षक दिशानिर्देश

5. नए आपराधिक कानूनों का प्रभाव

6. पीड़ितों के अधिकार और हकदारियाँ

7. प्रशिक्षण नोट्स: मुकदमे के दौरान पीड़ितों के अधिकार क्या हैं?

8. आपराधिक न्याय प्रणाली को समझना: पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण

मॉड्यूल का अवलोकन

लक्ष्य: प्रतिभागियों को नए भारतीय आपराधिक कानूनों के तहत लैंगिक हिंसा (GBV) और हाशिए पर पड़े समुदायों के पीड़ितों और बचे लोगों के अधिकारों की व्यापक समझ से लैस करना और इन व्यक्तियों का समर्थन करने और उनके लिए आवाज़ उठाने की उनकी क्षमता को बढ़ाना।

यह मॉड्यूल नए आपराधिक कानूनों का परिचय देता है, जो प्रतिभागियों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस करता है। यह

कानूनी जागरूकता और प्रवर्तन को मजबूत करके कमजोर आबादी की रक्षा पर जोर देता है।

पीड़ित-केंद्रित, अभिघात-सूचित (ट्रॉमा-इन्फॉर्म्ड) दृष्टिकोण केंद्रीय है, जो पीड़ितों की गरिमा, सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है। प्रशिक्षण चर्चाओं, केस स्टडीज और व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से सक्रिय सीखने, साझा ज्ञान और सहयोग को बढ़ावा देता है।

इंटरैक्टिव सत्रों में भाग लेकर, प्रतिभागी कानूनी प्रावधानों और उनके वास्तविक दुनिया में आवेदन की गहरी समझ विकसित करते हैं। यह सहभागी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि

पेशेवर अपराध और हिंसा से प्रभावित लोगों को होने वाले नुकसान को कम करते हुए न्याय बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।

प्रशिक्षण सुविधाकर्ता के नोट्स

विषय की संवेदनशील प्रकृति और एक सुरक्षित एवं सम्मानजनक सीखने का माहौल बनाने के महत्व को स्वीकार करते हुए शुरुआत करें।

नए कानूनों और लैंगिक हिंसा (GBV) को संबोधित करने तथा हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा करने में सकारात्मक बदलाव की संभावना के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें।

इन कानूनों को लागू करने और पीड़ितों का समर्थन करने में प्रतिभागियों की भूमिका के महत्व पर जोर दें।

सीखने के उद्देश्य

इस मॉड्यूल के अंत तक, प्रतिभागी निम्न में सक्षम होंगे:

⇒ नए आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, BSA) के लैंगिक हिंसा (GBV) और हाशिए पर पड़े समुदायों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करें।

⇒ लैंगिक हिंसा (GBV) और उसके विभिन्न रूपों को परिभाषित करें, हिंसा की अंतर्संबंधी (intersectional) प्रकृति को पहचानते हुए।

⇒ नए कानूनों के तहत पीड़ितों और पीड़ितों के अधिकारों और हकदारियों की पहचान करें, जिसमें न्याय तक पहुंच, संरक्षण और सहायता शामिल है।

⇒ अंतर्संबंधिता (intersectionality) की अवधारणा और लैंगिक हिंसा (GBV) के हाशिए पर पड़े समुदायों के अनुभवों पर इसके प्रभाव को समझें।

⇒ प्रासंगिक सहायता सेवाओं की पहचान करें और उन तक पहुंच बनाएं, तथा प्रभावी वकालत के लिए रणनीतियाँ विकसित करें।

⇒ नए कानूनों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और इन बाधाओं को दूर करने के लिए समाधान प्रस्तावित करें।

⇒ पीड़ितों और पीड़ितों के अधिकारों की वकालत करें, प्रणालीगत परिवर्तन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दें।

प्रशिक्षण सुविधाकर्ता दिशानिर्देश

कानूनी परिदृश्य को समझना

⇒ भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) का अवलोकन: लैंगिक हिंसा (GBV) और हाशिए पर पड़े समुदायों से संबंधित प्रमुख प्रावधान।

⇒ कानूनी सुधारों के कारण: पिछले कानूनों की कमियों को दूर करना और विकसित हो रही सामाजिक वास्तविकताओं तथा

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप होना।

⇒ आपराधिक न्याय प्रणाली पर नए कानूनों का प्रभाव: बढ़ी हुई दक्षता, पीड़ित-केंद्रितता और जवाबदेही की संभावना।

⇒ भारत में आपराधिक कानूनों और लैंगिक हिंसा (GBV) का ऐतिहासिक संदर्भ: महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों के खिलाफ हिंसा के प्रति कानूनी ढांचे और सामाजिक दृष्टिकोण के विकास की जांच करना।

प्रशिक्षण के लिए गतिविधियाँ

प्रश्न और उत्तर

⇒ लैंगिक हिंसा (GBV) को संबोधित करने और हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा करने में पिछले कानूनों (IPC, CrPC, साक्ष्य अधिनियम) की मुख्य कमियाँ क्या थीं?

⇒ नए कानून (BNS, BNSS, BSA) उन कमियों को कैसे दूर करने का लक्ष्य रखते हैं, और दृष्टिकोण में प्रमुख बदलाव क्या हैं?

⇒ लैंगिक हिंसा (GBV) से संबंधित अपराधों की परिभाषाओं में मुख्य बदलाव क्या हैं, और ये बदलाव कानूनी सुरक्षा के दायरे को कैसे प्रभावित करते हैं?

⇒ क्या आप डिजिटल साक्ष्य से संबंधित बदलावों और यह साइबर-संबंधित लैंगिक हिंसा के अभियोजन को कैसे प्रभावित करता है, इसकी व्याख्या कर सकते हैं?

⇒ नए कानून वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे को कैसे संबोधित करते हैं?

समूह चर्चा

विभिन्न हितधारकों (पीड़ितों, कानून प्रवर्तन, कानूनी पेशेवरों, गैर-सरकारी संगठनों) के परिप्रेक्ष्य से नए कानूनों के संभावित लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं?

केस लॉ विश्लेषण

लैंगिक हिंसा (GBV) से संबंधित एक ऐतिहासिक मामले पर चर्चा करें और विश्लेषण करें कि नए कानून इसके परिणाम को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला भारत में लैंगिक हिंसा (GBV), विशेष रूप से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी लड़ाई में एक अग्रणी मामला था। यह मामला तब सामने आया जब बाल विवाह के खिलाफ लड़ रही एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ बदले की भावना से सामूहिक बलात्कार किया गया। उस समय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को संबोधित करने वाले स्पष्ट कानूनों के अभाव के कारण, सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कार्यस्थल

पर यौन उत्पीड़न को रोकने और संबोधित करने के लिए प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए।

विशाखा दिशानिर्देशों का प्रभाव

विशाखा दिशानिर्देशों ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की नींव रखी, जिसने शिकायतों के निवारण के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान किया। हालांकि, प्रवर्तन में खामियां, न्याय में देरी और जागरूकता की कमी महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी रहीं।

नए आपराधिक कानूनों का प्रभाव

नए आपराधिक कानून यौन उत्पीड़न के लिए सख्त प्रावधान, बढ़ी हुई दंड और सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रियाएं पेश करते हैं, जो यदि लागू होते, तो मामले के परिणाम को काफी मजबूत कर सकते थे। संभावित प्रभावों में शामिल हैं::

⇒ मजबूत कानूनी ढांचा - स्पष्ट कानूनी प्रावधान कार्यस्थल पर उत्पीड़न को परिभाषित और दंडित करते हैं, जिससे स्पष्ट कानूनी सहारा सुनिश्चित होता है।

⇒ तेजी से न्याय वितरण - फास्ट-ट्रैक अदालतों और पीड़ित-अनुकूल प्रक्रियाओं की शुरुआत से भंवरी देवी जैसे मामलों में देरी कम हो सकती है।

⇒ अधिक उत्तरजीवी संरक्षण - गवाह संरक्षण कार्यक्रम और प्रतिशोध के लिए सख्त दंड बेहतर सुरक्षा उपाय प्रदान कर सकते थे।

⇒ पीड़ित-केंद्रित न्याय को सुदृढ़ करके, नए कानूनों का उद्देश्य एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाना है, यह सुनिश्चित करना कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जैसे मामलों को मजबूत

कानूनी समर्थन और अधिक प्रभावी प्रवर्तन प्राप्त हो।

पीड़ितों के अधिकार और हकदारियाँ

पीड़ितों के अधिकारों को समझना

अपराध, विशेषकर लैंगिक हिंसा के शिकार और पीड़ितों के मौलिक अधिकार हैं जो उनकी गरिमा, सुरक्षा और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। इनमें सुरक्षा, कानूनी प्रतिनिधित्व, निजता, निष्पक्ष व्यवहार और पुनर्वास का

अधिकार शामिल है। पीड़ितों को केंद्र में रखकर न्याय प्रदान करने के लिए इन अधिकारों को पहचानना और बनाए रखना आवश्यक है।

न्याय तक पहुँच और सहायता सेवाएँ

बचे हुए लोग कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और आश्रय सेवाओं के हकदार हैं। सत्र में संस्थागत तंत्रों का पता लगाया जाएगा, जिसमें वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर, हेल्पलाइन और पीड़ित मुआवजा योजनाएं शामिल हैं, ताकि पीड़ितों को आवश्यक सहायता और निवारण मिल सके।

पीड़ित संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान

नए आपराधिक कानून उन्नत सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें गवाह संरक्षण कार्यक्रम, फास्ट-ट्रैक अदालतें, और पीड़ितों को डराने या परेशान करने के लिए कड़े दंड शामिल हैं। ये उपाय यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि बचे हुए लोग प्रतिशोध के डर के बिना सुरक्षित रूप से न्याय मांग सकें।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ

प्रश्न और उत्तर

⇒ जांच प्रक्रिया के दौरान एक पीड़ित के विशिष्ट अधिकार क्या हैं, और इन अधिकारों को कैसे लागू किया जा सकता है?

⇒ एक पीड़ित कानूनी सहायता कैसे प्राप्त कर सकता है, और किस प्रकार की कानूनी सहायता उपलब्ध है?

⇒ पीड़ित प्रभाव विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है, और इस विवरण का

उपयोग सजा सुनाने और अन्य कानूनी निर्णयों में कैसे किया जाता है?

⇒ गवाह संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधान क्या हैं, और पीड़ितों और गवाहों को डराने-धमकाने और प्रतिशोध से कैसे बचाया जा सकता है?

⇒ लैंगिक हिंसा (GBV) के पीड़ितों के लिए किस प्रकार के विभिन्न मुआवजे उपलब्ध हैं?

समूह गतिविधि

पीड़ितों के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधनों की एक चेकलिस्ट विकसित करें,

जिसमें कानूनी सहायता सेवाओं, सहायता संगठनों और सरकारी एजेंसियों के संपर्क विवरण शामिल हों।

परिदृश्य विश्लेषण

ऐसे परिदृश्य प्रस्तुत करें जहाँ पीड़ितों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो या उन्हें पर्याप्त रूप से संरक्षित न किया गया हो और प्रतिभागियों से उल्लंघनों की पहचान करने और समाधान प्रस्तावित करने के लिए कहें।

प्रशिक्षक के लिए नोट्स

मुकदमे के दौरान पीड़ितों के अधिकार क्या हैं?

भाग I: सामान्य आपराधिक प्रक्रिया और बी.एन.एस.एस.

सी.आर.पी.सी. [धारा 2(wa) में] 'पीड़ित' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता था, जिसे 'किसी कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या चोट हुई हो, जिसके लिए आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है', और इस अभिव्यक्ति में 'उसका अभिभावक या कानूनी वारिस' भी शामिल था। इसलिए, सी.आर.पी.सी. के तहत किसी को पीड़ित (और मुआवजे सहित परिणामी 'लाभों' के

लिए) योग्य होने के लिए, आरोपी पर आरोप लगाया जाना चाहिए था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बी.एन.एस.एस.) ने अपनी परिभाषा (धारा 2(1)(y)) में इस आवश्यकता को हटा दिया है, जिसका अर्थ है कि आरोप, पीड़ित मुआवजा प्रणालियों के अनुरूप, परिणामी लाभों तक पहुँचने के लिए एक पूर्व शर्त नहीं है। धारा 18(8) भी निर्दिष्ट करती है कि न्यायालय पीड़ितों को अभियोजन में सहायता के लिए अपने स्वयं के वकील नियुक्त करने की अनुमति दे सकता है।

एफ.आई.आर. और आरोप-पत्र की प्रति प्राप्त करने का अधिकार

⇒ जबकि सी.आर.पी.सी. [धारा 154(2)] के तहत, 'मुखबिर' एफ.आई.आर. की एक प्रति मुफ्त में प्राप्त करने का हकदार था, बी.एन.एस.एस. की धारा 173(2) के तहत, यह अधिकार मुखबिर के अलावा पीड़ित तक भी बढ़ा दिया गया है।

⇒ इसके अतिरिक्त, यदि पुलिस रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है, तो धारा 230 के तहत, एफ.आई.आर. के अलावा, पीड़ित 14 दिनों के भीतर, मुफ्त में, पुलिस रिपोर्ट; सभी व्यक्तियों के धारा 180 की उप-धारा (3) के तहत दर्ज बयान; यदि कोई इकबालिया बयान हो; और पुलिस

रिपोर्ट का हिस्सा रहे किसी भी अन्य दस्तावेज को प्राप्त करने का हकदार है।

⇒ हालांकि, ऐसा अधिकार केवल तभी उपलब्ध है 'यदि [पीड़ित का] प्रतिनिधित्व वकील द्वारा किया गया है।' पीड़ितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और सहायता के निहित अधिकार के अभाव और इस व्यवस्था के उचित कार्यान्वयन के बिना, अधिकांश पीड़ितों के लिए, यह अधिकार केवल कागजों पर ही मौजूद है।

एफ.आई.आर. दर्ज करने से इनकार

⇒ पुलिस अधिकारी द्वारा एफ.आई.आर. लिखने से इनकार करने पर,

सी.आर.पी.सी. में पहली सूचना रिपोर्ट को डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक के पते पर भेजने का प्रावधान था। यही अधिकार बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के तहत भी उपलब्ध है।

⇒ पुलिस अधीक्षक द्वारा मामला न लेने की स्थिति में, सीधे मजिस्ट्रेट को लिखने का विकल्प, जिसे सी.आर.पी.सी. की धारा 190 के साथ पठित सी.आर.पी.सी. की धारा 156(3) के तहत संज्ञान लेने का अधिकार है, बी.एन.एस.एस. की धारा 175(3) के तहत भी मौजूद है।

⇒ उपरोक्त विकल्पों के अलावा, पीड़ित/शिकायतकर्ता का सीधे मजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज करने का अधिकार, जो या तो स्वयं जांच कर सकता है या पुलिस द्वारा जांच का निर्देश दे सकता है [सी.आर.पी.सी. की धारा 200 के तहत], बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के तहत भी जारी है।

ज़ीरो एफ.आई.आर.

⇒ धारा 173 के तहत, बी.एन.एस.एस. ने ज़ीरो एफ.आई.आर. (Zero FIRs) की

अवधारणा को संस्थागत रूप दिया है, यानी कोई भी व्यक्ति अपराध कहीं भी हुआ हो, किसी भी पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज करवा सकता है।

⇒ हालांकि यह अधिकार पहले से मौजूद था और केंद्र सरकार तथा अदालतों के न्यायशास्त्र, जिसमें ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जैसे मामले शामिल हैं, द्वारा अनिवार्य किया गया था, एफ.आई.आर. का दर्ज न होना एक बड़ी समस्या थी जिसे इस खंड द्वारा निश्चित

रूप से कुछ हद तक संबोधित किया जाएगा।

जांच के चरण के दौरान सूचित किए जाने का अधिकार

⇒ बी.एन.एस.एस. पीड़ित और मुखबिर दोनों को सूचित किए जाने का अधिक विस्तृत अधिकार देता है।

⇒ धारा 193(3) और धारा 193(4) पुलिस को नब्बे दिनों के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सहित, जांच में हुई प्रगति के बारे में पीड़ित और मुखबिर को सूचित करने की आवश्यकता बताते हैं, लेकिन यहाँ भी

'यदि [पीड़ित का] प्रतिनिधित्व वकील द्वारा किया गया है' की आवश्यकता मौजूद है।

क्लोजर रिपोर्ट के मामले में अधिकार

⇒ सी.आर.पी.सी. की धारा 157(2) के तहत, पुलिस को आगे की जांच रोकने या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्णय के मामले में केवल गवाह/मुखबिर को सूचित करने का ही जनादेश था।

⇒ बी.एन.एस.एस. इस अधिकार को पीड़ित तक विस्तारित नहीं करता है।

⇒ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भगवंत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त, (1985) 2 एस.सी.सी. 537 में यह माना था कि जहां मजिस्ट्रेट धारा 173(2)(i) के तहत दायर रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान न लेने का फैसला करता है, वहां मुखबिर को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करने और मुखबिर के समान ही पीड़ित/पीड़ित के निकटतम परिजन को सुनवाई का अधिकार देने का विवेक दिया।

⇒ यह पीड़ितों की ओर से इस अधिकार को स्पष्ट करने का एक छूटा हुआ अवसर है।

अभियोजन की वापसी

⇒ सी.आर.पी.सी. की धारा 321 अभियोजक को न्यायालय की सहमति से, निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय, मामले के अभियोजन को वापस लेने की अनुमति देती है।

⇒ बी.एन.एस.एस. की धारा 360 ने ऐसी वापसी के लिए एक और शर्त जोड़ दी है, अर्थात् ऐसी वापसी केवल पीड़ित को सुनने के बाद ही हो सकती है।

भाग II: पहचान-आधारित हिंसा के पीड़ितों के लिए विशेष प्रावधान

⇒ पहचान-आधारित हिंसा के मामलों में, पीड़ितों को उनकी भेद्यता को मान्यता देते हुए विशेष अधिकार दिए गए हैं।

⇒ उदाहरण के लिए, जातिगत अत्याचारों के पीड़ितों को न्याय तक पहुँचने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में 2016 में संशोधन किया गया और अत्याचारों के पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों के अधिकारों

की रक्षा के लिए धारा 15ए जोड़ी गई ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

⇒ धारा 15ए पीड़ितों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करती है:

→ निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ तथा उचित समायोजन के साथ व्यवहार किया जाना।

→ किसी भी अदालती कार्यवाही की समय पर जानकारी और अग्रिम सूचना प्राप्त करना।

→ पक्षों को बुलाना, दस्तावेजों की जांच करना और गवाहों की जांच करना।

→ किसी आरोपी की जमानत, डिस्चार्ज, रिहाई, पैरोल, दोषसिद्धि या सजा से संबंधित किसी भी कार्यवाही या बहस में सुना जाना और दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या सजा पर लिखित प्रस्तुति दाखिल करना।

→ जांच, पूछताछ और मुकदमे के दौरान यात्रा और रखरखाव का खर्च।

→ सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास।

→ स्थानांतरण।

→ कार्यवाही के दौरान और अदालत के रिकॉर्ड में गोपनीयता।

→ एफ.आई.आर. की मुफ्त प्रति और नकद या वस्तु के रूप में तत्काल राहत।

→ पुलिस सुरक्षा

→ मृत्यु या चोट या संपत्ति के नुकसान के संबंध में राहत;

→ भोजन या पानी या कपड़े या आश्रय या चिकित्सा सहायता या परिवहन सुविधाएं या पीड़ितों को दैनिक भत्ता;

→ रखरखाव का खर्च।

⇒ इसी तरह, तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ, (2018) 9 एस.सी.सी. 501 में, न्यायालय ने मॉब हिंसा के पीड़ितों को निम्नलिखित अधिकारों की गारंटी दी:

→ सभी अदालती कार्यवाही की समय पर सूचना का अधिकार।

→ आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत, डिस्चार्ज, रिहाई और पैरोल जैसे आवेदनों के संबंध में मुकदमे में सुने जाने का अधिकार।

→ दोषसिद्धि, दोषमुक्ति या सजा पर लिखित प्रस्तुति दाखिल करने का अधिकार।

→ मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता पैनल से अपनी पसंद के किसी भी वकील को नियुक्त करना।

आपराधिक न्याय प्रणाली को समझना: पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण

प्रशिक्षण नोट्स

आपराधिक न्याय प्रणाली को समझना

न्याय की यात्रा में कई हितधारक शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की एक अलग भूमिका होती है:

⇒ **पुलिस:** शिकायतें दर्ज करती है, जाँच करती है और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

⇒ **न्यायपालिका:** मामलों की सुनवाई करती है, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करती है और फैसले सुनाती है।

⇒ **कानूनी सहायता सेवाएँ:** पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती हैं।

⇒ **सहायता संगठन:** आश्रय, परामर्श और पुनर्वास प्रदान करते हैं।

पीड़ितों को अक्सर कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों से देरी, धमकी और संवेदनशीलता की कमी का सामना करना पड़ता है। एक पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण सुलभ, कुशल और पीड़ितों के अनुकूल कानूनी प्रक्रियाओं को

सुनिश्चित करके इन चुनौतियों का समाधान करना चाहता है।

पीड़ितों के अधिकार और कानूनी सुरक्षा

नए कानूनों के तहत, बचे हुए लोग इसके हकदार हैं:

⇒ **बिना देरी या पूर्वाग्रह के एफ.आई.आर. दर्ज करना** - पुलिस को शिकायतें दर्ज करनी चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

⇒ **गुमनामी और गोपनीयता** - संवेदनशील मामलों में बचे हुए लोगों की पहचान सुरक्षित रखी जाती है।

⇒ **मुफ्त कानूनी सहायता और फास्ट-ट्रैक मुकदमे** - त्वरित न्याय सुनिश्चित करना।

⇒ **धमकी से सुरक्षा** - गवाह संरक्षण कार्यक्रम बचे हुए लोगों और उनके परिवारों की सुरक्षा करते हैं।

⇒ **मुआवजा और पुनर्वास सहायता** - बचे हुए लोगों के लिए वित्तीय सहायता और सामाजिक सेवाएँ।

कई बचे हुए लोग इन अधिकारों से अनजान हैं, जिससे कानूनी पेशेवरों, कानून प्रवर्तन और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए उन्हें

शिक्षित और सशक्त करना आवश्यक हो जाता है।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ

नकली मुक़दमा (मॉक ट्रायल)

लैंगिक हिंसा (GBV) के एक मामले के लिए एक सरलीकृत अदालती कार्यवाही का अभिनय करें, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं और पीड़ित द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

उद्देश्य:

यह नकली मुक़दमा प्रतिभागियों को यह समझने का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि लैंगिक हिंसा (GBV) के मामले अदालत में कैसे आगे बढ़ते हैं। यह विभिन्न भूमिकाओं, कानूनी प्रक्रियाओं और न्याय की तलाश में पीड़ितों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालेगा। यह अभ्यास न्यायिक कार्यवाही में पीड़ित-संवेदनशील, आघात-सूचित दृष्टिकोणों पर भी जोर देगा।

नकली मुक़दमे का परिदृश्य:

आयशा (28) नाम की एक महिला घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है। उस पर उसके नियोक्ता, एक अच्छी तरह से जुड़े व्यवसायी द्वारा यौन हमला किया गया था। जब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो उसे धमकी, सामाजिक कलंक और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा। मामला अब मुकदमे तक पहुंच गया है।

मुख्य मुद्दे:

⇒ शक्तिशाली अपराधी के खिलाफ न्याय के लिए बचे हुए व्यक्ति का संघर्ष।

⇒ कार्यवाही के दौरान सामाजिक पूर्वाग्रह और पीड़ित को दोषी ठहराने वाले आख्यान।

⇒ कानूनी सुरक्षा, सहायता तंत्र और न्यायिक संवेदनशीलता की भूमिका।

भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ:

प्रतिभागियों को एक यथार्थवादी लेकिन सरलीकृत अदालत के मुकदमे का अभिनय करने के लिए विभिन्न भूमिकाएँ सौंपी जाएंगी।

→ **उत्तरजीवी (आयशा):** घटना के बारे में, सामना किए गए आघात के बारे में और न्याय की तलाश में आने वाली चुनौतियों के बारे में अपनी गवाही साझा करती है।

प्रतिशोध के डर और भावनात्मक संकट पर प्रकाश डालती है।

→ **बचाव पक्ष का वकील (आरोपी का प्रतिनिधित्व):** आम पीड़ित-दोषी ठहराने वाली युक्तियों का उपयोग करके उत्तरजीवी की विश्वसनीयता को चुनौती देता है। तर्क देता है कि कोई मजबूत भौतिक प्रमाण नहीं है और उत्तरजीवी वित्तीय लाभ के लिए मामला गढ़ रही है।

→ **अभियोजन पक्ष का वकील (राज्य/पीड़ित का प्रतिनिधित्व):** गवाहों के बयान, फोरेंसिक साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट

प्रस्तुत करता है। उत्तरजीवी के अधिकारों पर जोर देते हुए कानूनी तर्कों के साथ पीड़ित को दोषी ठहराने वाले आख्यानों का खंडन करता है।

→ **न्यायाधीश:** निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है, जब तर्क पक्षपातपूर्ण या अनैतिक हो जाते हैं तो हस्तक्षेप करता है। बचे हुए लोगों की गरिमा की रक्षा करने वाले नए कानूनी प्रावधानों का पालन करता है। कानूनी तर्कों और साक्ष्य के आधार पर अंतिम फैसला सुनाता है।

→ **पुलिस अधिकारी (जांच अधिकारी):** जांच प्रक्रिया, साक्ष्य के संग्रह और अपनाई गई कानूनी प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है। मामले को संभालने में देरी, कमियों या पूर्वाग्रहों को संबोधित करता है।

→ **गवाह (उत्तरजीवी का पड़ोसी या दोस्त):** घटना के बाद उत्तरजीवी की स्थिति का एक स्वतंत्र विवरण प्रदान करता है। उत्तरजीवी की गवाही का समर्थन करता है या उसका खंडन करता है।

→ **कोर्ट रिपोर्टर:** मुख्य तर्कों, गवाहों के बयानों और न्यायाधीश की टिप्पणियों के नोट्स लेता है।

→ **जूरी (पर्यवेक्षक/प्रतिभागी):** मामला सुनने के बाद, वे तर्कों की ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करते हैं। यह प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं कि न्याय कैसे या क्यों नहीं मिला।

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस)

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस) लोकप्रिय शिक्षा के माध्यम से जमीनी स्तर पर सामाजिक कार्रवाई को मजबूत करने के लिए समर्पित एक सामूहिक है। हम प्रमुख विकास प्रतिमानों में भागीदारी के सतही उपयोग को चुनौती देते हैं, हाशिए के समुदायों के लिए वास्तविक सशक्तिकरण पर जोर देते हैं। हमारा दृष्टिकोण लोगों को एजेंसी को पुनः प्राप्त करने, निहित शक्ति संरचनाओं को चुनौती देने और अपनी वास्तविकताओं को बदलने के लिए ज्ञान और क्षमता से लैस करता है।

पॉपुलर एजुकेशन एंड एक्शन सेंटर (पीस)
ए-124/6, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016
दूरभाष: 011-26858940
Email: peaceactdelhi@gmail.com
Website: https://populareducation.in